2025:CGHC:22580

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 180/2017

आदेश सुरक्षित करने का दिनांक 25.03.2025

आदेश पारित करने का दिनांक 09.06.2025

खितिभूषण पटेल पिता कंवलधर पटेल, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी– ग्राम अरमुडा तहसील पुसौर जिलाः रायगढ़ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---आवेदक

विरुद्ध

1. श्रीमती फुलकुमारी पटेल पति स्व. पंचराम पटेल निवासी बड़े गुमदा, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

2. शाखा प्रबंधक,यू सी ओ बैंक रायगढ़ तहसील एवं जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़., जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़

3.जन सामान्य

---उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 175/2017

खितिभूषण पटेल पिता कंवलधर पटेल, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी ग्राम– अरमुडा तहसील पुसौर जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ , छत्तीसगढ़

---आवेदक

विरुद्ध

1. श्रीमती फुलकुमारी पटेल पति स्व. पंचराम पटेल, निवासी– बड़े गुमदा तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

2. जन सामान्य

उत्तरवादीगण

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 176/2017

खितिभूषण पटेल पिता स्व. कंवलधर पटेल, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी– ग्राम अरमुडा, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़,छत्तीसगढ

---आवेदक

विरुद्ध

1. श्रीमती फुलकुमारी पटेल पति स्व. पंचराम पटेल, निवासी– बड़े गुमदा, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

2. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, पुसौर शाखा, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़

3.जन सामान्य

---उत्तरवादीगण

<u>सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 179/2017</u>

खितिभूषण पटेल पिता स्व. कंवलधर पटेल, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी– ग्राम अरमुडा, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ

---आवेदक

विरुद्ध

1. श्रीमती फुलकुमारी पटेल पति स्व. पंचराम पटेल, निवासी– बड़े गुमदा, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

2. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, पुसौर शाखा, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़

3. जन सामान्य

---उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 184/2017</u>

खितिभूषण पटेल पिता कंवलधर पटेल,आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी– ग्राम अरमुडा, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---आवेदक

विरुद्ध

1. श्रीमती फुलकुमारी पटेल पिता स्व. पंचराम पटेल निवासी– बड़े गुमदा, तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

2. मंडल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, प्रथम तल, सुनालिया इमारत, सत्तीगुड़ चौक,तहसील व ज़िला रायगढ़ छत्तीसगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़

3. जन सामान्य

---उत्तरवादीगण

आवेदकगण की ओर से	:	श्री एच.एस. पटेल, अधिवक्ता
उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से	:	श्री मनोज कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से	:	श्री स्वयं तेहनगुरिया, अधिवक्ता
यूको बैंक की ओर से	:	श्री रवींद्र शर्मा एवं श्री राकेश कुमार मानिकपुरी, अधिवक्तागण
भारतीय स्टेट बैंक की ओर से	:	श्री सुदीप अग्रवाल, सह सुश्री रुचि अग्रवाल ,अधिवक्तागण

माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र कुमार व्यास

सीएवी आदेश

1. चूँकि सिविल पुनरीक्षण के समूह में अन्तर्वलित विवाद्यक व तथ्य एक ही हैं, अतः इनकी सुनवाई समान रूप से की जा रही है तथा पाँच सिविल पुनरीक्षणों,अर्थात् सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 180/2017, सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 175/2017, सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 176/2017, सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 179/2017 और सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 184/2017 का निपटान इस एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. ये पाँच सिविल पुनरीक्षण भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (जिसे अब 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 384 (3) के अधीन चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा पारित दिनांक 13.10.2017 के आदेश जिसमें पाँच उत्तराधिकार प्रकरणों में उत्तराधिकार न्यायालय अर्थात द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–I, रायगढ़ के आदेश की पुष्टि की गई है एवं विभिन्न सिविल अपीलों को खारिज कर दिया गया है के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए हैं।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि पंचराम और फुलकुमारी पटेल का विवाह वर्ष 1987 में हुआ था और उनके विवाह से ज्योति नाम की एक पुत्री का जन्म हुआ। दिनांक 07.05.1993 को फुलकुमारी पटेल ने अपना ससुराल का त्याग कर दिया तथा पुत्री का भी त्याग कर दिया। दिनांक 26.06.1999 को पंचराम, जो पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर कार्यरत थे, की सेवा के दौरान सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तत्पश्चात, ज्योति पटेल अपने दादा कमलधर के साथ रहती थीं और उनकी भी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात, ज्योति पटेल मृतक पंचराम के बड़े भाई के साथ रहने लगीं। यह तर्क किया गया है कि दिनांक 30.12.2005 को आवेदक ने कु. ज्योति पटेल को अपनी पुत्री के रूप में गोद लिया था और तब से वह आवेदक के साथ रह रही थीं। वर्ष 2000 में, ज्योति पटेल को पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति मिली और दुर्भाग्यपूर्ण, दिनांक 17.09.2014 को अविवाहित रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई।

4. अपने जीवनकाल में, कु. ज्योति पटेल ने कुछ बीमा पॉलिसी ली थीं और विभिन्न बैंकों में धन भी जमा किया था। उनकी मृत्यु के बाद, उत्तरवादी क्रमांक 1 और आवेदक के मध्य मृतक की संपदा बीमा पॉलिसी के माध्यम से जमा की गई राशि और बैंकों में जमा धन को अपने अधिकार में लेने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, इसलिए, मृतक की संपदा पर उत्तराधिकार का दावा करने के लिए विद्वान द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 रायगढ़ के समक्ष भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अधीन पाँच आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें मुख्य रूप से यह तर्क किया गया कि मृतका कु. ज्योति पटेल उनकी दत्तक पुत्री थीं, जिनकी देखरेख उन्होंने की और उन्हें शिक्षा भी प्रदान की, अतः, वह अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के हकदार हैं। उत्तरवादी क्रमांक 1/आपत्तिकर्ता उक्त कार्यवाही में उपस्थित हुए और आपत्ति उठाई और प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया, जिसमें जीवन बीमा निगम, रायगढ़ द्वारा जारी बीमा पॉलिसियों, सावधि जमा रसीद और बचत खाते में जमा राशि के उत्तराधिकार का दावा किया गया। उत्तरवादी क्रमांक 1 ने पुलिस विभाग में जमा धनराशि का उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदक के विरुद्ध उत्तराधिकार वाद क्रमांक 21/2014 भी प्रस्तुत किया है, जिसमें आवेदक ने भी प्रतिदावा प्रस्तुत किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. विद्वान उत्तराधिकार न्यायालय ने पक्षकारों की सुनवाई के बाद, आवेदक के पक्ष में प्रकरण क्रमांक 18/2014 में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया है और निर्देशित किया है कि आवेदक स्टेट बैंक शाखा पुसौर, खाता क्रमांक 11356597894 में जमा राशि का आधा हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है। फुलकुमारी द्वारा प्रस्तुत उत्तराधिकार प्रकरण क्रमांक 21/2014 में विद्वान विचारण न्यायालय ने कु. ज्योति पटेल की मृत्यु के उपरांत विधिक उत्तराधिकारियों को संदेय 3,50,000/– रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रदान किया है। आवेदक ने अपील प्रस्तुत की और पक्षकारों की सुनवाई के उपरांत, अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 13.10.2017 के आक्षेपित आदेश द्वारा आवेदक की अपीलों को खारिज कर दिया है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है। अतः, यह पुनरीक्षण प्रस्तुत की गई है।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.01.2016 के आदेश द्वारा सभी पाँचों मामलों में प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किया। उस आदेश के विरुद्ध, आवेदक ने उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 384 के अधीन अपील प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 13.10.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। उत्तराधिकार आवेदन, दावा की गई राशि, अपील क्रमांक और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तिथि का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:–

सिविल पुनरीक्षण	उत्तराधिकार क्रमांक	अपीलीय आदेश क्रमांक	अपीलीय आदेश दिनांक	बैंक/खाता विवरण	राशि
सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 175/2018	21/2014	13/2016	13.10.2017	सेलरी खाता	रु. 3,50,000/–
सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 176/2017	19/2014	15/2016	13.10.2017	टीडीआर एफडी एस बचत खाता क्रमांक 11356653737	रु. 2,73,363/–
सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 179/2017	18/2014	16/2016	13.10.2017	खाता क्रमांक 11356597894	रु. 1,21,505.39/–
सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 180/2017	20/2014	14/2016	13.10.2017	बचत खाता क्रमांक 20290110045451	रु. 10,49,000/–
सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 184/2017	17/2014	17/2016	13.10.2017	कुल 15 बीमा पॉलिसीयाँ	रु. 9,00,000/–
				कुल	**रू. 26,57,868/–**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि निचली न्यायालय और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विकृत, त्रुटिपूर्ण और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के विपरीत हैं। आगे उनका यह भी तर्क हैं कि दोनों विचारण न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों का उचित परिप्रेक्ष्य में विवेचना करने में असफल रहे हैं। आगे उनका यह भी तर्क हैं कि दोनों विचारण न्यायालयों ने इस तथ्य पर विचार करने में त्रुटि की है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 को उसके पति और पुत्री का त्याग कर दिया था, और तब से वह अपनी पुत्री की देखरेख के लिए अपने ससुराल नहीं आई है, अतः उत्तरवादी क्रमांक 1 उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने की हकदार नहीं है। आगे उनका यह भी तर्क हैं कि दोनों विचारण न्यायालय यह समझने में असफल रहे हैं कि आवेदक का नाम मृतक ज्योति पटेल के सेवा अभिलेख और बैंक और एलआईसी से संबंधित अन्य दस्तावेजों में मृतक ज्योति पटेल के नामनिर्देशिती के रूप में दर्ज है, इसलिए, नामनिर्देशिती होने के नाते आवेदक मृतक के नाम पर जमा की गई राशि प्राप्त करने का हकदार है। उन्होंने आगे तर्क किया कि ज्योति पटेल को उसकी माँ द्वारा त्याग दिए जाने के बाद, उसकी

देखरेख आवेदक द्वारा की गई और उसे शिक्षा प्रदान की गई। मृतक ज्योति के पिता पंचराम पटेल की मृत्यु के उपरांत, जो स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि आवेदक ने ज्योति पटेल के भरण–पोषण के सभी दायित्व और विधिक नैतिक दायित्व का पालन किया है, इसलिए, वह मृतक द्वारा छोड़ी गई संपदा का उत्तराधिकार पाने का हकदार है। उन्होंने आगे तर्क किया कि दोनों न्यायालय यह समझने में असफल रहे हैं कि अपने जीवनकाल के दौरान, मृतक ज्योति ने एक शपथपत्र दिया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि वह आवेदक के संरक्षण में रह रही है और आवेदक उत्तराधिकारी होगा और वह सिविल रिवीजन को स्वीकार करने अनुरोध किया। अपने तर्क की पुष्टि हेतु, उन्होंने **छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य विरुद्ध धीरजो कुमार सेंगर 2009(13) SCC 600** में प्रकाशित प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया।

8. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तरवादी क्रमांक 1, जो स्व. ज्योति पटेल की उत्तराधिकारी हैं, का दावा कर रही हैं, क्योंकि दोनों विचारण न्यायालयों द्वारा पारित ऐसा आदेश विधिक और न्यायोचित है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आगे उनका तर्क हैं कि कि दोनों विचारण न्यायालयों ने उत्तरवादी क्रमांक 1, जो स्व. ज्योति पटेल की माँ हैं, के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। आगे उनका तर्क हैं कि कि दोनों विचारण न्यायालयों का एक समवर्ती निष्कर्ष है जिसमें दोनों विचारण न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 स्व. ज्योति पटेल की उत्तराधिकारी हैं, इसलिए दोनों विचारण न्यायालयों द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई है। आगे उनका यह भी तर्क हैं कि दोनों विचारण न्यायालयों द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्षों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 1 उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का हकदार है और इसलिए, प्रमाण पत्र प्रदान करना अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर एक समवर्ती निष्कर्ष है और अधिनियम, 1925 की धारा 388(3) के अधीन पुनरीक्षण अधिकारिता में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और उन्होंने अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया। अपने तर्क की पुष्टि हेतु, उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्रीमती सरबती देवी व अन्य विरुद्ध श्रीमती उषा देवी 1984 (1) एससीसी 424** में प्रकाशित प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा अभिलेख का परिशीलन किया है।

10. इस न्यायालय के समक्ष अवधारणीय प्रश्न यह है कि "क्या विचारण न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विकृत या अवैध है जिस हेतु इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक है"

11. इस न्यायालय द्वारा अवधारण किए जाने हेतु उत्पन्न बिंदू के विवेचन के लिए, इस न्यायालय के लिए उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और जीवन बीमा अधिनियम,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1938 के सुसंगत प्रावधानों का परिशीलन करना समीचीन है। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन से संबंधित है और धारा 372(3) में प्रावधान है कि ऐसे प्रमाण पत्र के लिए आवेदन मृतक लेनदार को संदेय किसी भी ऋण या ऋणों के संबंध में या उसके किसी भाग के संबंध में किया जा सकता है। यह धारा किसी नामनिर्देशिती को नामनिर्देशन के आधार पर प्रमाण पत्र का दावा करने से नहीं रोकती है, परंतु नामनिर्देशिती को मृतक की संपदा को अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। वितरण उनके उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किया जाना चाहिए जो उन पर लागू हो। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15, 1956 में हिंदू नारियों के प्रकरण में उत्तराधिकार के सामान्य नियम दिए गए हैं। इस धारा के अनुसार, निर्वसीयत हिंदू नारी की संपदा धारा 16 में निर्धारित नियमों के अनुसार अंतरित होगी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धाराएँ 15 व 16 नीचे पुन: प्रस्तुत हैं:–

धारा 15:– हिन्दू नारी की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम –निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की सम्पत्ति धारा 16 में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी :–

(क) प्रथमतः पुत्रों एवं पुत्रियों (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी हैं) और पति को ;

(ख) दितीयतः पति के वारिसों को ;

(ग) तुतीयतः माता और पिता को ;

(घ) चतुर्थतः पिता के वारिसों को ; तथा

(ड) अन्ततः माता के वारिसों को ।

(2) उपघारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

(क) कोई सम्पत्ति जिसकी विरासत हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते हैं) अभाव में उपघारा (1) में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी ; तथा

(ख) कोई सम्पत्ति जो हिन्दू नारी को अपने पति या अपने श्वसुर से विरासत में प्राप्त हुई हो मृतक के किसी पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुर या पुत्री के अपत्य भी आते हैं) अभाव में उपघारा (1) में विनिर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिप्ट क्रम से न्यागत न होकर पति के वारिसों को न्यागत होगी।

धारा 16:– हिन्दू नारी के वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और वितरण की रीति

धारा 15 में निर्दिष्ट वारिसों में उत्तराधिकार का क्रम और उन वारिसों में निर्वसी यत की संपदा का वितरण निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगा, अर्थात् :–

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नियम 1– धारा 15 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट वारिसों में से पहली प्रविष्टि में के वारिसों को किसी उत्तरवर्ती प्रविष्टि में के वारिसों की तुलना में अधिमान प्राप्त होगा और जो वारिस एक ही प्रविष्टि के अंतर्गत हो, वे साथ–साथ अंशभागी होंगे ।

नियम 2–यदि निर्वसीयत का कोई पुत्र या अपने ही कोई अपत्य निर्वसीयत की मृत्यु के समय जीवित छोड़कर निर्वसीयत से पूर्व मर जाए तो ऐसे पुत्र या पुत्री के अपत्य परस्पर वह अंश लेंगे जिसे वह लेती यदि निर्वसीयत की मृत्यु के समय ऐसा पुत्र या पुत्री जीवित होती ।

नियम 3–धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (घ) और (ड) में और उपधारा (2) में निर्दिष्ट वारिसों को निर्वसीयत की सम्पत्ति उसी क्रम में और उन्हीं नियमों के अनुसार न्यागत होगी जो लागू होते यदि सम्पत्ति, यथास्थिति, पिता की या माता की या पति की होती और वह व्यक्ति निर्वसीयत की मृत्यु के अव्यवहित पश्चात् उस सम्पत्ति के बारे में वसीयत किए बिना मर गया होता ।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 पॉलिसीधारी द्वारा नामनिर्देशन से संबंधित है। यह धारा प्रावधान करती है कि जीवन बीमा पालिसी का धारक अपने ही जीवन पर पालिसी कराते समय या संदाय के लिए पालिसी के परिपक्र होने से पूर्व किसी भी समय उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे या जिन्हें वह धनराशि, जो पालिसी द्वारा प्रतिभूत है, उसकी मृत्यु की दशा में दी जाएगी:मृतक के उत्तराधिकारियों द्वारा जो उनके उत्तराधिकार विधि के अनुसार है इस राशि का दावा किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. मृतक के उत्तराधिकारियों के संबंध में नामनिर्देशन के अधिकार से संबंधित विधि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में परीक्षण का विषय है। **माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती सरबती देवी व एक अन्य विरुद्ध श्रीमती उषा देवी, 1984 (1) एससीसी 424 में प्रकाशित प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:–**

> 5. अब हम अधिनियम की **धारा 39** के प्रावधानों का विश्लेषण करेंगे। उक्त धारा में प्रावधान है कि जीवन बीमा पालिसी का धारक अपने ही जीवन पर पालिसी कराते समय या संदाय के लिए पालिसी के परिपक्र होने से पूर्व किसी भी समय उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे या जिन्हें वह धनराशि, जो पालिसी द्वारा प्रतिभूत है, उसकी मृत्यु की दशा में दी जाएगी परन्तु जहां कोई नामनिर्देशिती अवयस्क है, वहां पालिसीधारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह बीमाकर्ता द्वारा अधिकथित रीति में किसी व्यक्ति को इस दृष्टि से नियुक्त कर दे कि वह नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान पालिसीधारी की मृत्यु हो जाने की दशा में वह धनराशि, जो पालिसी द्वारा प्रतिभूत है, प्राप्त करेगा । इसका अर्थ है कि यदि पॉलिसी के संदाय के लिए परिपक्र होने पर पॉलिसी धारक जीवित है, तो केवल उसे ही पॉलिसी के अधीन संदेय राशि का संदाय प्राप्त होगा, नामनिर्देशिती व्यक्ति को नहीं। ऐसा कोई भी नामनिर्देशन, संदाय के लिए पॉलिसी परिपक्र होने से पूर्व किसी भी समय रद्द या

परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु ऐसे रद्दीकरण या परिवर्तन की सूचना बीमाकर्ता को दिए जाने से पूर्व, यदि वह अपने पास पूर्व से पंजीकृत नामनिर्देशिती व्यक्ति को सद्भावपूर्वक संदाय करता है, तो बीमाकर्ता को वैध मुक्ति मिल जाती है। नामनिर्देशन को रद्द करने या उसमें परिवर्तन करने की ऐसी शक्ति का तात्पर्य यह है कि नामनिर्देशिती को बीमित व्यक्ति के जीवनकाल में राशि पर कोई अधिकार नहीं है। यदि पॉलिसी अधिनियम की **धारा 38** के अधीन समनुदेशित या अंतरित की जाती है, तो नामनिर्देशन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि नामनिर्देशिती या जहाँ एक से अधिक नामनिर्देशिती हैं, सभी नामनिर्देशिती पॉलिसी के संदाय के लिए परिपक्व होने से पूर्व मर जाते हैं, तो पॉलिसी के अधीन संदेय राशि वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र धारक को संदेय होती है। यहाँ अधिनियम की **धारा 39** की उप–धारा (7) का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। परंतु **धारा 39** के सुसंगत प्रावधानों का सारांश ऊपरोक्त दर्शित है, जो स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि पॉलिसी धारक अपने जीवनकाल में पॉलिसी में हित रखता है और नामनिर्देशिती पॉलिसी धारक के जीवनकाल में पॉलिसी में किसी प्रकार का हित अर्जित नहीं करता है। यदि ऐसा है, तो पॉलिसी धारक की मृत्यु पर पॉलिसी के अधीन संदेय राशि उसकी संपदा का हिस्सा बन जाती है जो उस पर लागू उत्तराधिकार विधि द्वारा शासित होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ऐसा उत्तराधिकार वसीयतनामा या निर्वसीयत हो सकता है। इस बात का कोई आधार नहीं है कि अधिनियम की **धारा 39** उत्तराधिकार के तीसरे प्रकार के रूप में कार्य करती है, जिसे **श्रीमती उमा सहगल** के प्रकरण (पूर्वोक्त) में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 16 में 'वैधानिक वसीयतनामा' कहा गया है। यदि अधिनियम की धारा 39 की तुलना धारा 38 से की जाए, जो पॉलिसी के तहत अधिकारों के अंतरण या समनुदेशन का प्रावधान करती है, तो नामनिर्देशिती के अधिकार का कमजोर स्वरूप और भी स्पष्ट हो जाएगा। यह मानना कठिन है कि अधिनियम की **धारा 39** का प्रयोजन विधि द्वारा प्रदान की गई उत्तराधिकार की तीसरी विधा के रूप में कार्य करना था। **धारा 39** की उपधारा (6) का प्रावधान, जो व्यक्त करता है कि राशि नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को संदेय होगी, का अभिप्रेत यह नहीं है कि राशि नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों की होगी। हमें यहाँ यह विचार रखना होगा कि विधि और न्यायिक दृष्टांत वसीयत के निष्पादन और प्रमाण के प्रकरण में विशेष सावधानी बरतते हैं, जिसका प्रभाव संपदा को बिना वसीयत के उत्तराधिकार के सामान्य क्रम से हटाने का होता है और वसीयती उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले नियमों की कठोरता में तब भी ढील नहीं दी जाती जब वसीयत पंजीकृत हो।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिप्रा सेनगुप्ता विरुद्ध मृदुल सेनगुप्ता व अन्य 2019 (10) एससीसी 680** में प्रकाशित प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

> 16. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अशोक चंद अग्रावाला विरुद्ध दिल्ली प्रशासन व अन्य (1998) VII एडी (दिल्ली) 639 में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय का भी अवलंब लिया। यह प्रकरण दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम से संबंधित था। उच्च न्यायालय ने सरबती देवी प्रकरण (पूर्वोक्त) का अनुपालन करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यह सुस्थापित है कि किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में किए गए नामनिर्देशन मात्र से संबंधित व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत नामनिर्देशिती को संपदा में कोई लाभकारी हित प्रदान नहीं होता है। नामनिर्देशन उस व्यक्ति को इंगित करता है जो राशि प्राप्त करने या संपदा का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत है। संपदा या राशि, जैसा भी प्रकरण हो, मृतक के उत्तराधिकारियों द्वारा, उन पर लागू उत्तराधिकार विधि के अनुसार, दावा किया जा सकता है।
>
> 17. वर्तमान प्रकरण में अन्तर्वलित विवाद अब समाप्त नहीं होता है। नामनिर्देशिती व्यक्ति इसे प्राप्त करने का हकदार है, परंतु प्राप्त राशि उत्तराधिकार विधि के अनुसार वितरित की जाएगी। इस प्रकरण में स्थापित तथ्यात्मक आधार के अनुसार, मृतक की मृत्यु दिनांक 8.11.1990 को हुई और वह अपनी माँ और विधवा को अपने एकमात्र उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी के रूप में विधिक प्रतिनिधि के रूप में छोड़ गया। अतः जिस दिन उत्तराधिकार का अधिकार विकल्प खुला, अपीलार्थी, उसकी विधवा सामान्य भविष्य निधि की आधी राशि की हकदार हो गई, बाकी आधी माँ को और उसकी मृत्यु पर, दूसरा जीवित पुत्र भी वही राशि प्राप्त करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि मृतका उसकी दत्तक पुत्री थी, इसलिए वह मृतका का दत्तक पिता है। नामनिर्देशिती होने पर भी वह मृतका की संपदा पाने का हकदार नहीं है, परंतु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 16(ग) में परिभाषित उत्तराधिकारियों की श्रेणी में आने के कारण, दत्तक पिता के रूप में, वह संपदा का उत्तराधिकार पाने का हकदार है। इस प्रकार, वह अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की, सिवाय बैंक खाते में जमा 9,00,000/– रुपये की राशि के 50% हिस्से के, जो आवेदक द्वारा नामनिर्देशिती होने के कारण प्राप्त की गई है। यह तर्क अस्वीकार किए जाने योग्य है क्योंकि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार, विधिमान्य दत्तक ग्रहण के लिए कुछ प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना आवश्यक है, जो अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। धारा 6 निम्नानुसार है:–

धारा 6. विधिमान्य 'दत्तक संबंधी अपेक्षाएं –काई भी दत्तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि–

(i) दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की सामर्थ्य और अधिकार न रखता हो;

(ii) दत्तक देने वाला व्यक्ति ऐसा करने की सामर्थ्य न रखता हो;

(iii) दत्तक–व्यक्ति दत्तक में लिए जाने योग्य न हो; और

(iv)दत्तक इस अध्याय में वर्णित अन्य शर्तों के अनुवर्तन में न किया गया हो ।

15. आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य में यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि अधिनियम की धारा 6 के तहत विधिमान्य दत्तक ग्रहण की आवश्यकता पूरी हुई है या नहीं। यहाँ तक कि आवेदक ने यह भी साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि मृतक को दत्तक लेते समय वास्तव में कोई दान–दक्षिणा समारोह हुआ था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एम. गुरुदास व अन्य विरुद्ध रसरंजन व अन्य के प्रकरण में, जो 2006 (8) एससीसी 367 में दर्ज है, निम्नलिखित निर्णय दिया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. विधिमान्य दत्तक ग्रहण साबित करने हेतु , यह अभिलेख में दर्ज करना आवश्यक होगा कि वास्तव में दान–दक्षिणा समारोह हुआ था। 'दत्त होम' करना अनिवार्य था, बशर्ते कि कुछ अपवाद हों। सबसे बढ़कर, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह प्रश्न उठेगा कि क्या पुत्री को गोद लेना विधिन स्वीकार्य है।

27. मुल्ला के हिंदू विधि के सिद्धांत, 17 वें संस्करण, पृष्ठ 710 में, यह व्यक्त किया गया है: "488. दत्तक ग्रहण से संबंधित समारोह (1) दत्तक ग्रहण से संबंधित समारोह हैं

(क) लड़के को एक परिवार से दूसरे परिवार में स्थानांतरित करने के इरादे से देने और लेने का भौतिक कार्य;

(ख) दत्त होम, अर्थात् अग्नि में घी की आहुति;और

(ग) अन्य छोटे समारोह, जैसे पुत्रेष्टि जग (पुत्र संतान के लिए बलिदान)।

(2) देने और लेने का तात्विक कार्य दत्तक ग्रहण की विधिमान्यता के लिए आवश्यक है; दत्त होम के संबंध में यह निश्चित नहीं है कि क्या इसका प्रदर्शन हर प्रकरण में दत्तक ग्रहण की विधिमान्यता के लिए आवश्यक है। अन्य समारोहों के संबंध में, उनका प्रदर्शन दत्तक ग्रहण की विधिमान्यता के लिए आवश्यक नहीं है।

(3) शूद्रों के प्रकरण में कोई भी धार्मिक समारोह, यहाँ तक कि दत्त होम भी, आवश्यक नहीं है। क्या जैनियों या पंजाब में धार्मिक समारोह आवश्यक हैं।

अतः यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि आवेदक, मृतक का दत्तक पिता होने के नाते, मृतक की संपदा पाने का हकदार है।

16. विधि की उपरोक्त स्थिति से, यह स्पष्ट है कि नामनिर्देशिती को बीमा कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी के अंतर्गत राशि या बैंक में बचत खाते या सावधि जमा रसीद में जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु उनका वितरण उनके उत्तराधिकार विधि के अनुसार होगा। चूँकि पक्षकार हिंदू हैं, इसलिए मृतक की संपदा का वितरण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार होगा और मृतक नारी होने के कारण, उसकी संपदा का वितरण अधिनियम, 1956 की धारा 15 और 16 के अनुसार होगा। अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट विधिक उत्तराधिकारी,माँ, जो धारा 15 के वर्ग (ग) में आती है, बीमा कंपनी या बैंक या नियोक्ताओं अर्थात पुलिस विभाग के पास जमा संपदा का उत्तराधिकार प्राप्त करने की हकदार होगी। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि मृतका अविवाहित नारी थी और उसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उत्तराधिकार प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदनों में शामिल संपदाओं का उत्तराधिकार पाने के लिए उसकी माँ ही एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी है। विद्वान विचारण न्यायालय ने उत्तरवादी क्रमांक 1 के पक्ष में उत्तराधिकार प्रदान किया है और विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्रावधानों पर विचार करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को उचित रुप से खारिज किया है। दोनों विचारण न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विधिक और न्यायोचित हैं, जो इस न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं देते हैं। अन्यथा भी, यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की शक्ति अति सीमित है, जब तक कि दोनों न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विकृत या स्पष्ट अवैधता से ग्रसित न हों, जो हस्तक्षेप का औचित्य प्रदान करते हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. प्रकरण के इस पहलू पर विचार करते हुए, मेरा विचार है कि दोनों विचारण न्यायालयों ने उत्तरवादी क्रमांक 1 के पक्ष में उत्तराधिकार प्रदान करने में कोई भी ऐसी तात्विक अनियमितता या अवैधता नहीं की है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो। तदनुसार, सिविल पुनरीक्षण याचिकाएँ, सारहीन होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य हैं और इन्हें एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

सही/–

(नरेंद्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur